54

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

निग - 3063 - II-16

दुष्यन्त कुमार सिंह एड०
द्वारा आज दि. 7/9/16 को
प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. रामगुलाम पिता रनमत जायसवाल निवासी ग्राम चमारीडोल, तहसील सरई, जिला सिंगरौली (म0प्र0)
2. जनिया पुत्री रामगुलाम पत्नी जगदीश जायसवाल साकिन ककरसिहा, तहसील सरई जिला सिंगरौली (म0प्र0)
3. केमली पुत्री रामगुलाम पत्नी कामता जायसवाल साकिन झारा, तहसील सरई, जिला सिंगरौली (म0प्र0)
4. चिरौंजिया पुत्री रामगुलाम पत्नी भैयालाल जायसवाल निवासी ग्राम भररोड़ा, तहसील सरई, जिला सिंगरौली (म0प्र0)
5. रामकली पुत्री रामगुलाम पत्नी रमेश जायसवाल निवासी ग्राम झारा, तहसील सरई, जिला सिंगरौली (म0प्र0)

..........निगरानीकर्तागण / आवेदकगण

बनाम

रामाधार पिता रामगुलाम जायसवाल निवासी ग्राम चमारीडोल, तहसील सरई, जिला सिंगरौली (म0प्र0)

..............गैरनिगरानीकर्ता / अनावेदक

दुष्यन्त कुमार सिंह
एडवोकेट
म.प्र. उच्च न्यायालय एवं रेवेन्यू बोर्ड
ग्वालियर-6

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रं. 1075 / अपील / 2015-16 आदेश दिनांक 30-08-16

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता सन् 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है:-

(क) यह कि खसरा नं. 70 रकबा 0.21, 71 रकबा 0.20, 77 रकबा 0.07, 84 रकबा 1.46, 113 रकबा 0.11, 135 रकबा 0.07, 137 रकबा 0.09 142 रकबा 0.17 181 रकबा 0.10, 195 रकबा 0.09, 603 रकबा 1.38, 183 रकबा 0.07 कुल किता 12 कुल रकबा 4.02 एकड़

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3063–दो/2016 जिला सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
14–9–2016	आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 1075/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 30–8–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक अभिभाषक का मुख्य रूप से तर्क है कि आवेदक रामगुलाम ने तहसीलदार सरई जिला सिंगरौली के समक्ष म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 178(क) के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया जिसपर प्रकरण कमांक 52/अ–27/2013–14 में पारित दिनांक 19–2–14 को बटवारा आदेश पारित किया गया। आवेदक ने तहसीलदार के आदेश दिनांक 19–2–14 के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 16–6–16 से अस्वीकार की गई तथा अपर आयुक्त द्वारा भी तहसीलदार के अवैधानिक आदेश को स्थिर रखने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि रामगुलाम के एक पुत्र रामाधार तथा चार पुत्रियां जनिया, केमली, चिरौंजिया एवं रामकली है जिन्हें भूमि में समान बटवारा किया जाना चाहिए था, इस हिसाब से अनावेदक को 1/6 की पात्रता आती है। तहसीलदार ने कुल भूमि 4.02 एकड़ में से अनावेदक को 3.95 एकड़ तथा आवेदक को मात्र 0.7 एकड़ भूमि बटवारे में देने में अवैधानिकता की है। बटवारे में पुत्रियों का भी बराबर हक था अतः तहसीदार ने उनको बटवारे में भूमि न देकर गंभीर	

अनियमितता की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश निरस्त किये जाये।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध आदेश की सत्यापित प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। आवेदक ने तहसीलदार के समक्ष म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 178–क के अन्तर्गत बटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, परन्तु तहसीलदार ने आवेदक रामगुलाम के सभी वारिसों को बिना पक्षकार बनाये एवं सह भू–धारियों द्वारा खाते में धारित आंशो के अनुपात में बिना बांटे बटवारा आदेश पारित किया है। फर्द पुल्ली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक रामगुलाम के नाम अंकित भूमि पर आवेदक के पुत्र रामाधार के नाम कुल किता 11 की 3.95 एकड तथा आवेदक रामगुलाम को 0.07 एकड़ भूमि बटवारे में दी गई है। आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत सजरा खानदार एवं अपर आयुक्त के आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि रामगुलाम की चार पुत्रियां हैं उनको हिस्साबांट में कोई भूमि प्रदान नहीं की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 178(क) में यह प्रावधानित है कि– "(1) जब कभी कोई भूमिस्वामी अपनी कृषि भूमि को अपने जीवनकाल के दौरान अपने विधिक वारिसों में विभाजिजत करना चाहता है, तो वह विभाजनक के लिए तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा।

(2) तहसीलदार विधिक वारिसों की सुनवाई करने के पश्चात खाते को विभाजित कर सकेगा और उस खाते के निर्धारण को इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार प्रभाजित कर सकेगा।"

तहसीलदार को आवेदन प्राप्त होने पर सभी वारिसों को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत संहिता की धारा 178 में बनाये प्रभाजन के नियमों का पालन करते हुये खाता विभाजन करना चाहिए था।

विभाजन के नियम 5 के अनुसार – खाते का निर्धारण सह–भू–धारियों द्वारा खाते में धारित अंशो के अनुपात में बॉटा जाएगा। निर्धारण का प्रभाजन करते समय नये पैसे के खंडों को छोड़ दिया जाएगा।

स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा जो बटवारा कार्यवाही इस प्रकरण में अपनाई गई है वह म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 178(क) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं कही जा सकती क्योंकि तहसीलदार द्वारा सभी हिस्सेदारों को बराबर हिस्सा न देकर कुल भूमि 4.2 एकड़ भूमि में से बहनों को कोई हिस्सा नहीं दिया है तथा पिता को मात्र 0.7 एकड़ हिस्सा बटवारे में दिया है तथा शेष पुरा 3.95 एकड़ अनावेदक को हिस्से में प्रदान करने में प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है, जो प्रथमदृष्टया ही प्रकट होता है। अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को मात्र तकनिकी आधारों पर तहसीलदार के अवैधानिक एवं अनियमित आदेश की पुष्टि करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों तहसीलदार सरई जिला सिंगरौली का आदेश दिनांक 19–2–14, अनुविभागीय अधिकारी देवसर/सरई जिला सिंगरौली का आदेश दिनांक 16–6–16 एवं अपर आयुत रीवा संभाग आदेश दिनांक 30–8–16 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण पुनः तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि सभी हितबद्ध/हिस्सेदारों को पक्षकार बनाते हुये तथा उनको सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरांत पिता, पुत्र एवं पुत्रियों में बराबरा–बराबर हिस्सा, बटवारे में दिया जाये।

प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य